राष्ट्रीय · National

सुप्रीम कोर्ट के तीन ऐतिहासिक फैसले: मदरसा एक्ट, एलएमवी लाइसेंस और एएमयू अल्पसंख्यक दर्जा

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट 2004 की वैधता बहाल की, एलएमवी लाइसेंस पर 7,500 किग्रा तक वाहन चलाने की अनुमति दी और एएमयू मामले में 1967 का फैसला पलटा।

राष्ट्रीय · National

1. यूपी मदरसा बोर्ड कानून बहाल

- सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद HC का फैसला रद्द किया
- 16,000 मदरसों और 17 लाख छात्रों को राहत मिली
- अनुच्छेद 30 और 21-A को परस्पर पूरक माना

राष्ट्रीय · National

2. LMV लाइसेंस पर बड़ा फैसला

- एलएमवी धारक 7,500 किग्रा तक के व्यावसायिक वाहन चला सकेंगे
- बीमा कंपनियों की तकनीकी आपत्तियां खारिज हुईं
- ड्राइवरों की आजीविका और क्लेम सुरक्षा सुनिश्चित

राष्ट्रीय · National

3. एएमयू पर अज़ीज़ बाशा निर्णय निरस्त

- 7 जजों की संविधान पीठ का 4:3 से ऐतिहासिक फैसला
- क़ानून से गठित संस्थान भी अल्पसंख्यक दर्जे के हकदार
- संस्थान की मूल स्थापना और उद्देश्य होगा प्रमुख आधार

परीक्षा के लिए तथ्य · Facts for Exams

याद रखें

Remember

यूपी मदरसा एक्ट निर्णय पीठ	3 जज (सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस पारदीवाला, जस्टिस मिश्रा)
एलएमवी वाहन अधिकतम वजन सीमा	7,500 किलोग्राम (Unladen Weight)
मोटर वाहन अधिनियम लागू वर्ष	1988 (धारा 2(21) में LMV परिभाषित)
एएमयू संविधान पीठ संरचना	7 न्यायाधीश (4:3 का बहुमत निर्णय)
पलटा गया ऐतिहासिक निर्णय	एस. अज़ीज़ बाशा बनाम भारत संघ (1967)
अल्पसंख्यक शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद	भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(1)

अभ्यास प्रश्न · Practice MCQ

सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के अनुसार, हल्के मोटर वाहन (LMV) लाइसेंस धारक अधिकतम कितने वजन तक का परिवहन वाहन चला सकते हैं?

A 5,000 किग्रा

B 6,500 किग्रा

C 7,500 किग्रा

D 10,000 किग्रा

उत्तर / Answer: C — सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने माना कि एलएमवी धारक 7,500 किग्रा तक के अनलैडन वजन वाले परिवहन वाहन चला सकते हैं।

अभ्यास प्रश्न · Practice MCQ

यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को चुनौती देने वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किस डिग्री से जुड़े प्रावधानों को असंवैधानिक ठहराया?

A कामिल और फाजिल (उच्च शिक्षा डिग्रियां)

B मुंशी और मौलवी (माध्यमिक स्तर)

C आलिम (उच्चतर माध्यमिक स्तर)

D हाफ़िज़ प्रमाण पत्र

उत्तर / Answer: A — अदालत ने स्नातक और स्नातकोत्तर समकक्ष 'कामिल' और 'फाजिल' डिग्रियों के नियमन को यूजीसी एक्ट के उल्लंघन के कारण अमान्य ठहराया।

पूरा लेख, PDF और रोज़ के अपडेट

Full article, PDF & daily updates

हिंदी और English दोनों में पढ़ें

aajkagk.com

पेज को **Follow** करें और **Share** करें

Follow the page & share with friends